

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 65/2023

तारीख दायर:- 07.06.2023

तारीख निर्णय:-10.03.2025

1. श्री विपिन पुत्र शांतिलाल भील निवासी बरसी तहसील फलासिया।
2. श्री गणेश पुत्र लक्ष्मण भील निवासी बरसी तहसील फलासिया।
3. चौकली पत्नी शांतिलाल भील निवासी बरसी तहसील फलासिया।
4. श्री छगन पुत्र लक्ष्मण भील निवासी बरसी तहसील फलासिया।
5. नानूडी पत्नी लक्ष्मण भील निवासी बरसी तहसील फलासिया।
6. सुमित्रा पुत्री लक्ष्मण भील निवासी बरसी तहसील फलासिया।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री महेन्द्रसिंह पुत्र धुलसिंह पंवार राजपुत निवासी बरसी तहसील फलासिया।
2. श्री कन्हैयालाल पुत्र काउवा भील निवासी नागमाला तहसील फलासिया।
3. श्री रामसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपुत निवासी बरसी तहसील फलासिया।
4. श्री हेमराज पुत्र खेमराज लौहार निवासी बिछीवाडा तहसील फलासिया।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपस्थित- प्रार्थीगण की ओर से- श्री गजेन्द्र जोशी

अप्रार्थी की ओर से- एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा बरसी पटवार क्षेत्र फलासिया तहसील फलासिया में आराजी नम्बर 808/760 रकबा 0.4400 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते हैं तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते हैं व घास लकड़ी इत्यादि को ले जाते हैं। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाईं झगडा करते रहते हैं। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी कि मौजा बरसी पटवार क्षेत्र फलासिया तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 808/760 रकबा 0.4400 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांव दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर




रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये है।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि रिथत होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपरिथत रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं कि कि कि मौजा बरसी पटवार क्षेत्र फलासिया तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 808/760 रकबा 0.4400 है0 भूमि की गौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नही होने की स्थिति में दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फलासिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसीलदार झाडोल को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(कपिल कुमार कोठारी)
उपस्थल अधिकारी
झाडोल, जिला उदयपुर